राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6615/2024

अशोक कुमार पुत्र श्री हरिराम बिश्नोई, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी डिगांव, करडा, जालोर (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से।

2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जालोर।

3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जयराम सारण
श्री भरत सिंह राठौर
प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>23/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, जो स्कूल व्याख्याता के रूप में कार्यरत है, वर्तमान में निलंबित है, इस न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 02.04.2024 (अनुलग्नक-4) के आरोप-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ प्रतिवादियों के खिलाफ एक निर्देश की मांग कर रहा है, जिसमें उन्हें आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आगे की विभागीय कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया गया है। दोनों कार्यवाही एक ही आरोपों और तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एक साथ शुरू की गई हैं।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, अजमेर में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 3 और 10 और आईपीसी की धारा 419, 420 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 381/2023 दर्ज की गई थी। जांच के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था, और मुकदमा लंबित है।

3. एफआईआर के कारण, याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (जिसे आगे 'नियम 1958' कहा जाएगा) के नियम 13(2) के तहत दिनांक 05.01.2024 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

4. इसके बाद, 1958 के नियम 16 के तहत, याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, और आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों के साथ याचिकाकर्ता को दिनांक 02.04.2024 को आरोप-पत्र का ज्ञापन दिया गया।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

6. प्रतिवादियों को नोटिस देने से छूट दी जा रही है, क्योंकि मैं जो आदेश पारित करने का प्रस्ताव करता हूं, वह किसी भी तरह से उनके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखेगा।

7. सर्वप्रथम कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक परिपत्र दिनांक 08.08.2001, 09.08.2001 तथा 30.08.2017 (क्रमशः अनुलग्नक-5, 6 एवं 7) का संदर्भ लिया जा सकता है।

8. इसके अवलोकन से यह पता चलता है कि एक ही प्रकार के आरोपों के संबंध में निष्कर्ष

लौटाने में असंगति के प्रति सचेत होने के कारण, जो एक साथ विभागीय एवं आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं, निर्देश जारी किए गए हैं कि भारतीय दंड संहिता तथा अन्य आपराधिक कानून अर्थात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एनडीपीएस/आबकारी अधिनियम आदि के तहत सामान्यतः आपराधिक आरोपों को अनुशासनात्मक जांच करने के लिए जारी किए जाने वाले विभागीय आरोप-पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कारण ढूंढना कठिन नहीं है, अर्थात विभागीय जांच के माध्यम से ऐसे आरोपों को साबित करना कठिन है, क्योंकि इस प्रकार के आरोपों के संबंध में निष्कर्ष लौटाने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा गहन परीक्षण की आवश्यकता होती है।

9. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जारी आरोप-पत्र तथा उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों ही मामले एक ही तथ्य तथा आरोपों पर आधारित हैं। यहां तक कि दोनों कार्यवाहियों में गवाह भी एक ही हैं। एक ओर जहां आपराधिक मुकदमा चल रहा है, वहीं याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 02.04.2024 (अनुलग्नक-4) का आरोप-पत्र जारी किया गया है।

10. इस संदर्भ में कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया है कि जहां तक संभव हो, आपराधिक मामले के समापन तक विभागीय कार्यवाही को रोकना वांछनीय है, यदि दोनों कार्यवाहियां एक समान तथा/या समान तथ्यों तथा आरोपों पर आधारित हैं।

11. उपर्युक्त आधार पर, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचने के लिए, जो कि आपराधिक मुकदमे में उसके साक्ष्य दर्ज होने से पहले विभागीय कार्यवाही में उसके बचाव के प्रकटीकरण के कारण हो सकता है, यह उचित होगा कि लंबित विभागीय कार्यवाही में उसके अधिकारों की रक्षा की जाए।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि जबकि प्रतिवादियों को लंबित विभागीय कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन याचिकाकर्ता को लंबित आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज होने तक उसमें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। प्रतिवादियों को तत्काल आदेश में संशोधन की मांग करने के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है, यदि उन्हें इससे कोई शिकायत है।

13. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।